



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227539
CG-DL-E-12062021-227539

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 12, 2021/ज्येष्ठ 22, 1943

No. 235]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12, 2021/JYAISTHA 22, 1943

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

(स्नातक-पूर्व चिकित्सा शिक्षा बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2021

फा. सं. रा.आ.आ./भा.आ.प.35(1)98-मेडि.(ii)/008077.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या रा.आ.आ./भा.आ.प.35(1)98-मेडि.(ii)123627 के अंतर्गत अधिसूचित, 'वार्षिक एम.बी.बी.एस. दाखिले विनियमावली, 2020 के लिए न्यूनतम शर्तों की 'अनुसूची-III उपकरण' (कालेजों और अस्पतालों में विभिन्न विभागों के लिए) में खण्ड 10 नैदानिक विभागों के शीर्षक 10.2 - आपातकालीन औषध विभाग के अंतर्गत क्रम संख्या 3 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

10.2 आपातकालीन औषध विभाग

क्र.सं.	मद का नाम	अपेक्षित संख्या
3.	“केन्द्रीय ऑक्सीजन और चूषण स्थल में, अस्पताल परिसर में समूचित स्थानों पर संस्थापित तरल ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले या संकटकालीन स्थिति में मरीजों वाले अस्पतालों में सभी बिस्तरों को पाइपयुक्त ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था शामिल होगी। इसके अलावा, सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके पास पाइपयुक्त ऑक्सीजन आपूर्ति, जो 6 महीने के अंदर संस्थापित और प्रचालनरत की	संकटकालीन स्थिति में या ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों वाले सभी बिस्तरों /ट्रालियों पर

	जाएगी, चाहे 2022 से अनिवार्य आपातकालीन औषध विभाग की शर्त न भी हो, के अलावा एक समर्पित पी.एस.ए (दबाव गति अंतर्लयन) या वी.एस.ए (निर्वात गति अंतर्लयन) प्रौद्योगिकी उत्पादित ऑक्सीजन आपूर्ति भी हो।”	
--	---	--

डॉ. अरुणा वी. वणीकर, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./87/2021-22]

NATIONAL MEDICAL COMMISSION
(Under Graduate Medical Education Board)
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2021

F. No. NMC/MCI 35(1)98-med.(ii)/008077.—In exercise of powers conferred by Section 57 of the National medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the National Medical Commission makes the following amendment in S.No.3 under the heading 10.2-Department of Emergency Medicine of Clause-10 Clinical Departments in SCHEDULE III EQUIPMENT (for various departments in the College and Hospitals) of Minimum Requirements for Annual MBBS Admission Regulations, 2020 notified vide gazette notification no. NMC/MCI 35(1)98-med. (ii) 123627 dated 28th Oct 2020.

10.2 DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE

S. No.	Name of the Item	No. Required
3.	“Central Oxygen and Suction points shall include provision of piped oxygen supply to all beds in the hospital having patients in critical condition or requiring oxygen from liquid oxygen tank installed at appropriate place in the hospital complex. In addition, all Medical College hospitals are also required to have a dedicated PSA (Pressure Swing Adsorption) or VSA (Vacuum Swing Adsorption) technology produced oxygen supply in addition to piped oxygen supply, which is to be installed and made operational within six months, notwithstanding the requirement of the Department of Emergency Medicine mandated from 2022 onwards.”	All beds/bed-cum trolleys having patients in critical condition or requiring oxygen.

DR. ARUNA V. VANIKAR, President
[ADVT.-III/4/Ext./87/2021-22]